


-!अधिसूचना!-

मनोहरलाल आ० जगन्नाथ बागरी निवासी रटलाई थाना रटलाई जिला झालावाड को दिनांक 15.12.2017 से 7 दिन (सात दिवस) के लिए थाना झालावाड व जिला झालावाड की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे वह पुलिस थाना सुकेत जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियो की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गोंजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000/-रु० अक्षरे (दस-दस हजार रूपये) का जमानत एवं स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 14.12.2017 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(भवानी सिंह पालावत)
अति० जिला कलेक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड
झालावाड (राज०)

निर्णय बईजलास भवानी सिंह पालावत, आर0ए0एस0, अति0जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

प्रकरण संख्या 53/17

दायरा- 08.11.17

राजस्थान सरकार जर्ने पुलिस अधीक्षक झालावाड

सायल

बनाम

मनोहर आ0 जगन्नाथ बागरी निवासी रटलाई थाना रटलाई जिला झालावाड

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :- श्री प्रवीण पोसवाल वकील गैर सायल

-: आदेश :-

दिनांक:- 14.12.2017

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की ओर से मनोहरनाल आ0 जगन्नाथ बागरी निवासी रटलाई थाना रटलाई जिला झालावाड के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 7729 दिनांक 31.10.17 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना रटलाई में निम्न मुकदमें दर्ज है :-

क0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	30/16	13 आरपीजीओ	50 जुर्माना से दण्डित
2	133/16	13 आरपीजीओ	50 जुर्माना से दण्डित

जिनमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते है, इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वचछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्ने नोटिस तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से वकील प्रवीण पोसवाल द्वारा वकालतनामा पेश कर अनुरोध किया कि अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है प्रकरण खारिज कर गैर सायल को बरी किया जावे।

मैंने गैर सायल की मौखिक बहस का मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मैं गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड (राज०)